

## समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

पंचदश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र दिनांक 22 फरवरी, 2011 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 30 मार्च, 2011 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल-25 बैठकें हुईं।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 22 फरवरी, 2011 को महामहिम राज्यपाल द्वारा सह-समवेत बिहार विधान मंडल के सदस्यों को सम्बोधित किया गया। बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया। सभा सचिव द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल सचिवालय के पत्र में निहित तथ्यों के आलोक में बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 तथा पटना विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2010 जो चतुर्दश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र में बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ था, पर महामहिम राज्यपाल द्वारा अपनी अनुमति रोक ली गई है।

सत्र के दौरान ग्यारह जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया तथा जापान में आयी प्रलयकारी भूकम्प एवं सुनामी में मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

दिनांक 23 फरवरी, 2011 को माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 23 फरवरी, 2011 से जारी वाद-विवाद का उत्तर दिनांक 24 मार्च, 2011 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया तत्पश्चात् धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दिनांक 25 फरवरी, 2011 को माननीय मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक को सदन में उपस्थापित करते हुए बजट भाषण दिया गया।

दिनांक 01 मार्च, 2011 को वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक पर हुए सामान्य विमर्श का उत्तर माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया। आय-व्ययक में सम्मिलित 13 विभागों के अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद हुआ तथा सदन द्वारा विभागीय मंत्री के उत्तर के पश्चात् सदन द्वारा स्वीकृत किया गया। शेष माँगें सदन में गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुआ।

सत्र के दौरान महामहिम राज्यपाल द्वारा दो विधेयकों पर अनुमति रोके जाने के विषय को माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती उषा सिंह, डॉ० अच्युतानंद, श्री विनोद नारायण झा, श्री रामेश्वर प्रसाद एवं डा० इजहार अहमद द्वारा उठाया गया, साथ ही इस विषय पर माननीय प्रभारी मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग तथा माननीय नेता, प्रतिपक्ष द्वारा अपना विचार प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध में आसन द्वारा संविधान के अनुच्छेद-199(3) के प्रावधान की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए दिनांक 06 मई, 1953 को माननीय पूर्व प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू का इस सम्बन्ध में दिये गये भाषण से संबंधित पंक्तियों को उद्धृत करते हुए दिनांक 7 मार्च, 2011 को यह नियमन दिया गया कि बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा सामान्य विधेयक के रूप में पारित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 तथा पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 विधि सम्मत है।

दिनांक 07 मार्च, 2011 को प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा बी.पी.एल. परिवारों को राशन, किरासन वितरण के सम्बन्ध में तथा माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग द्वारा पंजाब के कपूरथला के इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहारी छात्रों के साथ हुए दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य दिया गया।

सत्र के दौरान राज्य सूचना आयोग का वित्तीय वर्ष 2009-10 का वार्षिक प्रतिवेदन, बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 की धारा-5(1) के अधीन निर्गत 18 घोषणा-पत्र, राज्य विद्युत बोर्ड, पटना का वार्षिक लेखा वर्ष 2001 से 2005-06 तक, बिहार राज्य वित्तीय निगम के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं 52वाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 सदन के पटल पर माननीय मंत्री द्वारा रखा गया।

माननीय मंत्री वित्त विभाग द्वारा बिहार सरकार के वित्त लेखे भाग-1, 2009-10, वित्त लेखे भाग-2, 2009-10 एवं विनियोग लेखे 2009-10 तथा वर्ष 2009-10 का अंकेक्षण प्रतिवेदन (राज्य का वित्त) सदन पटल पर रखा गया और तत्संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

माननीय मंत्री वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 के परिणाम बजट एवं जेण्डर बजट की प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

दिनांक 14 मार्च, 2011 को माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया।

दिनांक 29 मार्च, 2011 को माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के बजट प्राक्कलन से संबंधित प्राप्ति एवं व्ययों के रूझान का तृतीय तिमाही का परिणाम की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित आपदा प्रबंधन विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ एवं शेष माँग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये ।

राजकीय विधेयकों में यथा :- (1) बिहार विनियोग विधेयक, 2011, (2) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011, (3) बिहार वित्त विधेयक, 2011, (4) बिहार लोक सेवाओं का अधिकार विधेयक, 2011, (5) बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण विधेयक, 2011, (6) दण्ड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 2011, (7) बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011, (8) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2011, (9) बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबन्ध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 2011, (10) बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति विधेयक, 2011, (11) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011, (12) पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011, (13) बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी विवाद निवारण न्यायाधिकरण विधेयक, 2011, (14) बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग विधेयक, 2011, (15) बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2011, (16) बिहार समेकित जाँच चौकी प्राधिकार विधेयक, 2011, (17) बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर विधेयक, 2011, (18) बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सत्र के दौरान कुल-209 गैर सरकारी संकल्प की सूचना प्राप्त हुई जिसमें 185 प्रस्ताव नियमानुकूल पाये गये जो सदन के समक्ष विचारार्थ रखे गये शेष 24 प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं थे ।

इस सत्र में कुल-700 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 462 स्वीकृत हुए एवं 238 अस्वीकृत हुए । कुल-241 याचिकाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 191 स्वीकृत एवं 50 अस्वीकृत हुईं ।

इस सत्र में कुल-458 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 48 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 312 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 98 अमान्य हुए ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के अनेक महत्वपूर्ण मामले उठाये गये । बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

सत्रावधि के दौरान 23 बैठकों में राज्य के 23 जिलों के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राएँ सदन के अन्तराल के पहले की कार्यवाही को देखा । इसमें उक्त जिलों के 25 छात्र एवं 25 छात्राओं ने भाग लिया । इस कार्य में बिहार विधान सभा के अतिरिक्त मानव संसाधन विकास विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा पटना वीमेन्स कॉलेज का सहयोग प्राप्त हुआ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

प्रश्न की विवरणी सभी माननीय सदस्यों को दैनिक विवरणिका के साथ भेज दी जायेगी ।

प्रश्न काल का पटना दूरदर्शन द्वारा प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इन कार्यों से जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का कार्य किया, उन्हें साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

भारतीय क्रिकेट टीम को विश्वकप क्रिकेट 2011 के सेमीफाइनल में पहुँचने के लिए धन्यवाद तथा विश्वकप 2011 को जीतने हेतु सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामना देता हूँ ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

